5130

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983408

विक्रय पत्र अंकन 45,85,464/-रूपये का :-

स्टाम्प अंकन 4,58,600/-रूपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- कृषि भूमि रकबई 1.581 एकड़ अर्थात 0.640 हैक्टेयर स्थित ग्राम डूंडा हैड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान रसदी 23/-रूपये 25 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व कृषि

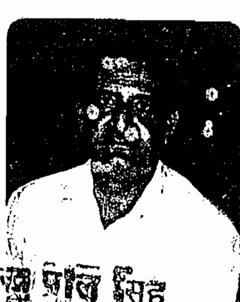

विरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट

क्रम सं. 13.... रु. 85/-
स्टाम्प नं0......में शामिल किया

19 OCT 2004

रोकड़िया कोषागार गाजियाबाद

Sarv Sanjhi Constructions PVT Ltd N. Delhi

बैनाम 45,85,464/-

45,86,007

रजि0 शुल्क ..... प्रतिलिपि शुल्क ..... 20 योग ..... शब्द लगभग
श्री ..... धर्मानन्द वशिष्ठ
पुत्र श्री ..... टेक राम वशिष्ठ
निवासी ..... B-47 कनाट प्लेस नई दिल्ली
ने यह लेख पत्र ..... गाजियाबाद में
आज दिनांक 19/10/04 ..... 4-45 बजे
प्रस्तुत किया।

साब रजिस्ट्रार प्रथम
19.10.04

इस लेखपत्र का निष्पादन एवं इसमें लिखे जरेबदल
रुपये मु0 ..... 45,85,464/-
जिनमें से ..... जगदीश S/o बाबूराम व गौरव व सौरव
पूर्व/नाबालिग S S/o सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी W/o सुभाष चन्द
पुत्र श्री ..... नि0 गांव ..... हरकेश व राजेन्द्र S/o बाबूराम नि0 गनेड़ा
व श्रीमती गुलाम देवी W/o इन्द्र भूषण
ने द के .....
श्री ..... नि0 मतीयाला पोस्ट ..... धर्मानन्द वशिष्ठ उपरोक्त
पुत्र श्री .....
निवासी .....
ने स्वीकार किया।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रूपये

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983409

हेतु क्रेता को विक्रय है । मेनरोड के मध्य बिन्दु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सरकारी कृषि भूमि दर 9,60,000/-रूपये प्रति एकड है, जबकि स्टाम्प इससे अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बनी कीमत उपरोक्त पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है । बैनामा में नक्शा नजरी संलग्न है ।

2

क्रमं सं...139....रु...2306
स्टाम्प नं0...132...में शामिल किया

19 OCT 2004

रोकड़िया कोषागार गाजियाबाद

जिनकी पहचान श्री ओमप्रकाश
पुत्र श्री धर्म सिंह
निवासी मौजा जलालपुर तह० दादरी
व श्री प्रताप सिंह
पुत्र श्री रामेश्वर दयाल
निवासी ...
ने की है।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
गाजियाबाद 19.10.04

उपरोक्त साक्षी 1/2 के निशानी अंगुठा नियमानुसार
लिये गये जो देखने में सही प्रतीत होते हैं।

सब रजिस्ट्रार
19.10.04

कार्यालय
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983410

हम कि श्री जगदीश पुत्र श्री बाबू राम व गौरव व सौरव (दोनो बालिगान) पुत्रगण स्व श्री सुभाष चन्द व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द बजात खुद व माता हकीकी व संरक्षिका ओर से अभिलाष नाबालिग पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द निवासीगण ग्राम ढूंडा हैड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व राजेश्वर पुत्र श्री बाबू राम निवासी ग्राम भनेड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद व श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री इन्दु भूषण निवासी मकान नम्बर-10 मालीवाड़ा चौक, गाजियाबाद प्रथमपक्ष विक्रेतागण । जिन्हे आगे चलकर विक्रेतागण कहा गया है ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

पच्चीस हजार रुपये

कार्यालय कोषाधिकारी
गाज़ियाबाद

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983411

एवं मैसर्स सर्व सॉंझी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री धर्नानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री टेकराम वशिष्ठ अथोराईज्ड सिगनेट्री कम्पनी उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता । जिन्हे आगे चलकर क्रेता कहा गया है ।

इस बैनामें मे विक्रेतागण व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जावेंगे ।

4

कार्यालय
14 OCT 2004
कोषाधिकारी

03DD 983412

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 1.581 एकड़ अर्थात 0.640 हैक्टेयर सम्बंधित खाता खतौनी नम्बर-1657 खसरा नम्बर-1037/1 रकबई 3-9-17 पुखता अर्थात 0.884 हैक्टेयर, लगानी 28/-रूपये 75 पैसे सालाना का 1/2 भाग रकबई 0.442 हैक्टेयर खाता खतौनी नम्बर-1497 खसरा नम्बर-1036/4 मि0 रकबई 0-3-6 पुखता अर्थात 0.042 हैक्टेयर, लगानी 50 पैसे सालाना का 1/4 भाग रकबई 0.0105 हैक्टेयर व खाता खतौनी नम्बर-1656 खसरा नम्बर-1038/2 रकबई 2-19-6 पुखता

कार्यालय ... मुख्य कोषाधिकारी

1 9 OCT 2004

03DD 983413

अर्थात 0.750 हैक्टेयर, लगानी 16/-रूपये 20 पैसे सालाना का 1/4 भाग रकबई 0.1875 हैक्टेयर इस प्रकार कुल भूमि रकबई 0.640 हैक्टेयर स्थित ग्राम डूंडा हैड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के प्रथमपक्ष विक्रेतागण मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर भू:स्वामी है । उक्त वर्णित विक्रय भूमि को विक्रेता जगदीश, राजेश्वर, श्रीमती गुलाब देवी ने श्री सुभाष चन्द के साथ मिलकर उनके जीवनकाल में विक्रय पत्र दिनांक 08-04-2002 को जिसकी पंजीकृत बही नम्बर-1 जिल्द 5051 के पृष्ट 173/177 में

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

कार्यालय

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983414

नम्बर-1590 पर दिनांक 08-04-2004 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है, खरीद किया । श्री सुभाष चन्द स्वर्ग सिधार गये । स्व0 श्री सुभाष चन्द के गोरव व सोरव बालिगान व अभिलाष नाबालिग पुत्रगण व श्रीमती निर्मला देवी पत्नी व जायज उत्तराधिकारी एवं वारिस हैं । इनके अलावा स्व0 श्री सुभाष चन्द का अन्य कोई उत्तराधिकारी एवं वारिस नही हैं । उक्त वर्णित विक्रय भूमि क्षेत्रफल 0.640 हैक्टेयर आज दिन तक विक्रेतागण की ओर से हर

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

कार्यालय ...

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983415

[illegible]र के बंधक भार सरकारी देनदारी व अन्य लोन आदि आदि से मुक्त हैं, कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय आदि आदि में ग्रस्त नही हैं । मिलकियत विक्रेतागण में किसी प्रकार का कोई दोष न त्रुटि नही हैं, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त हैं ।

हम सर्वश्री जगदीश, राजेश्वर, गौरव व सौरव व श्रीमती गुलाब देवी को स्वयं व मुझ श्रीमती निर्मला देवी को स्वयं व अपने नाबालिग पुत्र अभिलाष की ओर से बहैसियत वलि व संरक्षिका व माता हकीकी

19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983416

की हैसियत से विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है । एवं इस बैनामें का अपने नाबालिग पुत्र के हितो को दृष्टिगत रखते हुऐ निस्तारण किया गया है । अत: हम विक्रेतागण ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो के साथ बिना किसी डर दवाव व वहकाव के प्रभावित होते हुऐ मये तमाम हक हकूक मालिकान दाखिले खारिजे हर किसम मये कब्जा आदि आदि को मय हक काश्त व स्वयं प्राप्त सभी

कार्यालय ...
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983417

अधिकारो सहित आज की तारीख में बदले अंकन 45,85,464/-रूपये (पैंतालिस लाख पिचासी हजार चार सौ चौसठ रूपये) आधे जिसके अंकन 22,92,732/-रूपये (बाईस लाख बानवे हजार सात सौ बत्तीस रूपये) होते हैं, मैं बहक द्वितीयपक्ष क्रेता उपरोक्त को विक्रय कर दिया हैं और बेच दिया है तथा कुल विक्रय धनराशि 45,85,464/-रूपये की पचास प्रतिशत धनराशि अंकन 22,92,732/-रूपये बवक्त बैनामा

गौरव राजोरिया
निर्मला

कार्यालय ... गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुक्य कोषाधिकारी

03DD 983418

निम्नवत सात बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर ली है, जिसका विवरण इस प्रकार है । निम्न सात बैंक ड्राफ्ट

धनराशि	ड्राफ्ट नम्बर	दिनांक
5,73,183/-रूपये	043130	18-10-2004
5,73,183/-रूपये	043131	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043132	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043133	18-10-2004

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 983419

1,43,296/-रूपये	043134	18-10-2004
1,43,296/-रूपये	043135	18-10-2004
5,73,183/-रूपये	043136	18-10-2004

समस्त सातो बैंक ड्राफट पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं, तत्काल भुगतान की प्रत्याशा में और निम्नवत पच्चीस प्रतिशत धनराशि अंकन 11,46,366/-रूपये बैनामा निष्पादन के दिनांक से तीन

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

कार्यालय कोषागार

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983420

माह उपरान्त के दिनांकित अंकन 1-रूपया नकद व शेष धनराशि निम्नवत सात चैकों द्वारा प्राप्त कर ली है ।

धनराशि	चैक नम्बर	दिनांक
2,86,591/-रूपये	477750	19-01-2005
2,86,591/-रूपये	477751	19-01-2005
71,648/-रूपये	477752	19-01-2005
71,648/-रूपये	477753	19-01-2005

कार्यालय कोषाधिकारी
गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983421

71,648/-रूपये	477754	19-01-2005
71,648/-रूपये	477755	19-01-2005
2,86,591/-रूपये	477756	19-01-2005

समस्त सातो चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं, और मालियति की शेष कुल पच्चीस प्रतिशत धनराशि अंकन 11,46,366/-रूपये का भुगतान इस बैनामा निष्पादन के दिनांक से छः माह उपरान्त के दिनांकित निम्नवत सात छः द्वारा प्राप्त किया

कार्यालय ... गाज़ियाबाद
19 OCT 2004
मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983422

धनराशि	चैक नम्बर	दिनांक
2,86,591/-रूपये	477757	19-04-2005
2,86,591/-रूपये	477758	19-04-2005
71,648/-रूपये	477759	19-04-2005
71,648/-रूपये	477760	19-04-2005
71,648/-रूपये	4[illegible]61	19-04-2005

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

03DD 983423

71,648/-रूपये   477762   19-04-2005

2,86,591/-रूपये   477763   19-04-2005

समस्त सातो चैक्स पी0 एन0 बी0, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के हैं,

विक्रय भूमि कृषि भूमि है तथा कृषि हेतु बय है, दो फसली है सिंचाई का साधन बराबर के खेत के नलकूप से है । इस समय विक्रय कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

19 06

...ाधिकारी

03DD 983445

भूमि में कोई फसल नही बोई हुई है, भूमि मौके पर खाली है अन्तिम रूप में भुगतान होने पर कब्जा प्राप्त करने के बाद क्रेता को सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त कृषि भूमि को विक्रय आदि करे, विक्रय करने का अनुबन्ध करे, इस बैनामें के आधार पर अपना नाम सरकारी, गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागो आदि में दर्ज करावे, काश्त करें, व अन्य कोई कार्यवाही करे, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना हकूक में लाकर लाभ उठावे । हम विक्रेतागण या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या सम्बंध बाकी नही रहेगा । गर्ज है कि यदि विक्रेतागण के अनाधिकार से या

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

19 OCT 2004

कोषाधिकारी

03DD 983446

किसी कानूनी नुक्स ना मालुम के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जावेगा तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त धनराशि मये ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के विक्रेतागण व विक्रेतागण के वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले । कोई आपत्ति नही होगी । यदि बैनामा की तिथि और अंतिम चैक के भुगतान के बीच समय में यदि किसी सरकारी संस्था द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता हैं तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण इससे प्रभावित नही होगा तथा समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष क्रेता की होगी चैक का भुगतान क्रेता द्वारा नही रोका जायेगा

15149+3 5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

19 OCT 2004

मुख्य कोषाधिकारी

656852

तथा मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार क्रेता को होगा । उक्त भूमि ग्राम समाज, पट्टे, भूदान अथवा वक्फ की नही है । विक्रेतागण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नही हैं । पूर्व में कोई अनुबन्ध पत्र पंजीकृत नही है । उपरोक्त सभी चैकों के भुगतान के तत्काल पश्चात द्वितीयपक्ष क्रेता भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेगा । इससे

19

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

3990

पूर्व भूमि पर प्रथमपक्ष का ही कब्जा बना रहेगा । समस्त चैकों का भुगतान होने तक द्वितीयपक्ष क्रेता बैनामा होने पर अपने हक में अमल दरामद नही करायेगा । अगर अमल दरामद कराता है तो प्रथमपक्ष विक्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आपत्ति देकर अमल दरामद रूकवा दे । इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता को कोई आपत्ति नही होगी, बल्कि सहमति समझी जायेगी । चैकों के भुगतान के लिये निर्धारित अंकित तिथि के एक सप्ताह की अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वारा बैंक के नियमानुसार चैकों के भुगतान प्रस्तुत न करके भुगतान प्राप्त

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

399020

नही किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेतागण की होगी । इस प्रकार की स्थिति आने पर द्वितीयपक्ष क्रेता अन्तिम चैक में भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के तत्काल बाद उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेगा । उक्त चैको के भुगतान के लिए निर्धारित अंकित तिथि के एक सप्ताह के अन्दर प्रथमपक्ष विक्रेतागण को बैंक से बैंक के नियमानुसार चैक प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान प्राप्त नही होता है अथवा चैक किसी भी कारणवश अनादृत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथमपक्ष विक्रेतागण द्वितीयपक्ष क्रेता को चैक आदृत कराने के लिये एक सप्ताह का अवसर देगा । यदि द्वितीयपक्ष क्रेता एक सप्ताह में भुगतान नही कराता है तो दोनो पक्षो के मध्य निष्पादित यह बैनामा

19 OCT 2004

कोषाधिकारी

399033

रद्द माना जायेगा तथा द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा प्रथमपक्ष विक्रेतागण को बैनामे के समय दी गई 50 प्रतिशत अथवा प्रथमपक्ष विक्रेतागण को प्राप्त समस्त धनराशि जब्त हो जायेगी ।

OCT 2004

य कोषाधिकारी

अत: यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS

काम आवे । यह बैनामा विक्रतागण के पिछले कागजात व विक्रतागण व क्रेता के बताये अनुसार लिखा गया है ।

कृषि भूमि प्लान खसरा नं0 1036/4, 1037/1 व 1038/2 स्थित ग्राम डूडाहेडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0)

विक्रय रकबा = 1.5.81 एकड़ या = 0.640 हे0

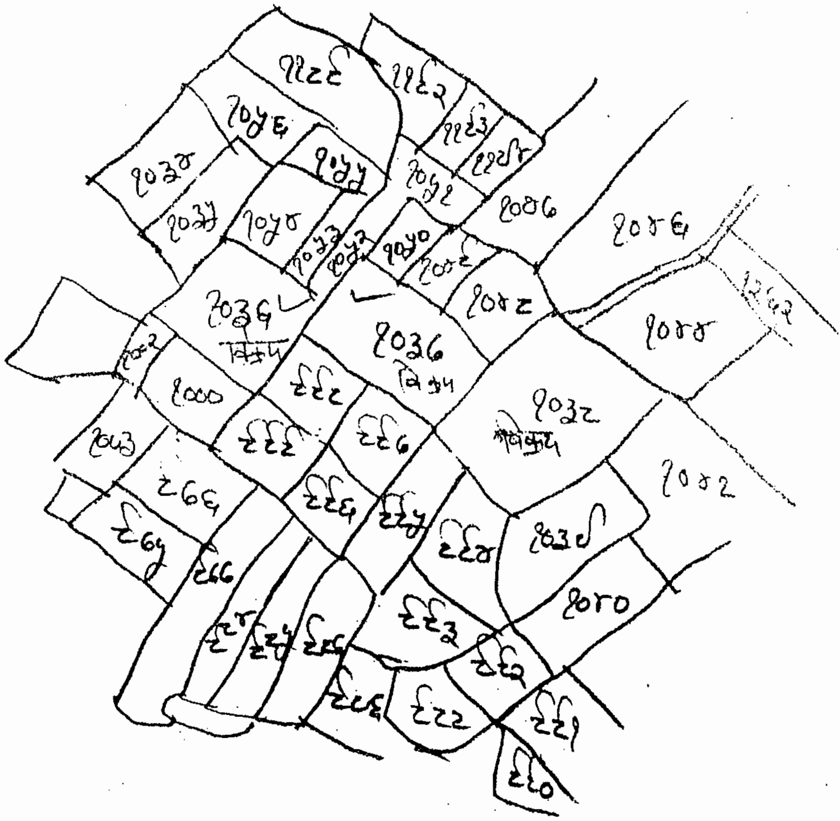

कृषि भूमि प्लान

29/7/14

निर्मला

MANOJ SHARMA
Architects, E... Valuers
Int. Design... Reg. No. 54
ARCHITEC...-COMBINE
CH. NO. 85, TEHSIL COMP. GZB.
PH.: R-2786133, M-9811504899

ह0 क्रेता   ह0 विक्रेता

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS

हस्ताक्षर विक्रेतागण

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह नं0 1 गवाह नं0 2

दिनांक 19-10-2004 मसौदा वीरेन्द पाल सिंह एडवोकेट चेम्बर नम्बर-56, तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद ।

वीरेन्द्र पाल सिंह
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

19 OCT 2004

क्रम संख्या 71 ...... क्रय किया की तिथि ......
स्टाम्प क्रय करने का ... प्रेम बेहल सी/ओ सोढ़ी मकान नं० B-42 मालवीय नगर नई दिल्ली द्वारा दयानन्द
स्टाम्प जिस उ काम य ......
....
स्टाम्प की धनराशि 50/-

संजय कुमार शर्मा स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नम्बर-33
लाइसेंस की नवीनीकरण की अवधि 31-3-05
अधिकृत विक्रय करने का स्थान चैम्बर नं० 24,
तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

बही नं० 1 जिल्द नं० 5794 के पृष्ठ 22 / 128 पर नम्बर 5130
को आज दिनांक 19/10/04 को ... की गई